

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी करतारसिंह पूनियां आर.ए.एस.

अपील संख्या - 156 / 2021

आरसीएमएस नं. 2021 / 156

जुगलकिशोर पुत्र सुगनचन्द पुत्र सांवलाराम जाति महाजन साकिन भानगढ़ तहसील भादरा हाल मकान नम्बर 63, जगदम्बा अपार्टमेंट, सैक्टर नम्बर-13, रोहिणी, सैक्टर नम्बर-7, नरेला, उत्तरी पश्चिमी दिल्ली।

— अपीलांत

बनाम

1. मनीराम पुत्र हरफूल सिंह जाति जाट साकिन भानगढ़ तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
2. रामकिशन पुत्र हरफूल सिंह जाति जाट साकिन भानगढ़ तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
3. रामेश्वरलाल पुत्र हरफूल सिंह जाति जाट साकिन भानगढ़ तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
4. मु० सजना बेवा विजय सिंह पुत्र हरफूल सिंह जाति जाट साकिन भानगढ़ तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
5. राकेश पुत्र विजय सिंह पुत्र हरफूल सिंह जाति जाट साकिन भानगढ़ तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
6. सावित्री बेवा रामकिशन जाति महाजन साकिन भानगढ़ तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
7. रामप्रताप पुत्र सांवलाराम जाति महाजन साकिन भानगढ़ तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
8. द्वारका प्रसाद पुत्र सांवलाराम जाति महाजन साकिन भानगढ़ तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

गौरीशंकर पि.मु. भगवाना जाति महाजन साकिन भानगढ़ तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व, नोहर तहसील नोहर।


— रेस्पोंडेंट



अपील अर्न्तगत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
विरुद्ध प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 12.11.2010
द्वारा सहायक कलैक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व), भादरा
अनवान "मनीराम आदि बनाम सावित्री आदि" प्र. सं. 29 / 2009
उपस्थिति:-

श्री हवा सिंह पूनियां अधिवक्ता अपीलांत .


श्री विजय कौशिक अभिभाषक रेस्पोंडेंट


राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

निर्णय

दिनांक 10.10.2022

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि रेस्पोंडेंट संख्या 1 ता 5 ने रेस्पोंडेंट संख्या 6 ता 10 के विरुद्ध अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बअनवानी "मनीराम आदि बनाम सावित्री आदि" मुकदमा नम्बर 29/2009 प्रस्तुत कर कथन किया कि रोही मौजा भानगढ़ की खातेदारी खेत खसरा नम्बर 101 तादादी 2.251 हिस्सा, 272 की 5.059 हैक्टेयर, 355 की 3.566 हैक्टेयर कुल तादादी 10.876 हैक्टेयर बारानी है जिसमें वादीगण का 400 हिस्सा इकजाई खेत खसरा नम्बर 272 तादादी 5.059 हैक्टेयर खरीदशुदा है शेष 460 हिस्सा इकजाई तौर से प्रतिवादीगण संख्या 1 से 5 का शामिल खाते में है व वादीगण व प्रतिवादीगण रिकार्डेड कोटिनेन्ट है व भूमि खेत खसरा नम्बर 272 तादादी 5.059 हैक्टेयर वादीगण के कब्जे काश्त में चली आ रही है व उन्हीं के हिस्से में आपसी बंटवारे में आ रही है। वादीगण व प्रतिवादीगण के दरमियान खाता शामिल होने से आए वर्ष लगान जमा करवाने व अपनी भूमि को आधुनिक तरीके से काश्त करने, लोन आदि लेने व कृषि सुधार करने का झगड़ा बना रहता है। वादीगण के हिस्से में खेत खसरा नम्बर 272 तादादी 5.059 हैक्टेयर भूमि आई हुई है जो जेर खरीदशुदा खातेदारी कृषि भूमि है जिसमें एक माईनर भी निकला हुआ है जिसमें 1 बीघा 15 बिस्वा भूमि अवाप्त की हुई है जिसकी अवाप्तशुदा भूमि की मुआवजा राशि मिलनी है उसको वादीगण ही प्राप्त करने के अधिकारी हैं। वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण को खाता विभाजन कब्जे काश्त के अनुसार कराने को कहा तो पूर्व में तो कहते रहे खाता विभाजन कब्जा काश्त व खरीदशुदा भूमि के अनुसार करवा लेंगे, मगर अब दिनांक 12.01.2009 को ग्राम भानगढ़ में खाता विभाजन करवाने से प्रतिवादीगण स्पष्ट तौर से इन्कार हो गये सो यही बिनाय मुख्यास्मत है। वादीगण ने उक्त वाद पत्र के जरिये अनुतोष चाहा कि वाद पत्र के पैरा संख्या-2 में वर्णित खातेदारी कृषि भूमि में से खेत खसरा नम्बर 272 तादादी 5.059 हैक्टेयर भूमि का खाता विभाजन व कब्जे काश्त व बैयनामा के अनुसार किया जाकर वादीगण के नाम अलग दर्ज की जावे व शेष खसरा नम्बरान की खातेदारी कृषि भूमि प्रतिवादीगण के नाम अलग दर्ज की जावे। इस कदम वादीगण व प्रतिवादीगण के दरम्यान खाता विभाजन की डिक्री पारित की जावे व लगान अलग अलग कायम किया जाकर हल्का पटवारी से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाया जावे। अधीनस्थ न्यायालय ने वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 को सम्मन रजिस्टर्ड भिजवाये। रजिस्टर्ड डाक प्राप्त होने के उपरांत भी उपस्थित नहीं आये जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा एकपक्षीय कार्यवाही की गई। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त पत्रावली प्रशासन गांवों के संग अभियान 2010 कैम्प भानगढ़ में पेशी में ली जाकर पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर प्राथमिक डिग्री दिनांक 12.11.2010 पारित की गई जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना-पत्र के साथ पेश की है।
2. उभयपक्ष की बहस सुनी गई।
3. अपीलाण्ट ने अपनी बहस में मिमो ऑफ अपील के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि मौजा भानगढ़ तहसील भादरा के खसरा 101 की 2.251 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 272 की 5.059 खसरा नम्बर 355 की 3.566 हैक्टेयर कुल 10.876 हैक्टेयर भूमि में 460 हिस्सा शुगनचंद, रामनिवास, रामप्रताप, द्वारकाप्रसाद पुत्रगण सांवलाराम व गौरीशंकर पि.मु. भगवानाराम खातेदार काश्तकार थे जिसमें से रामनिवास फौत हो गया। रामनिवास के


राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

वारिसान व रामप्रताप, द्वारका प्रसाद पुत्र सावलाराम एवं गौरीशंकर पि.मु. भगवाना ने अपने हिस्से की दस्तबरदारी दिनांक 17.05.2002 को सुगनचंद पुत्र सावलाराम के पक्ष में कर दी। अतः इस आधार पर सुगनचंद के नाम राजस्व अभिलेख में कृषि भूमि दर्ज हो गई व सुगनचंद ने अपने हक हिस्सा की भूमि की वसीयत दिनांक 03.12.2002 को अपीलांट के पक्ष में करवाई हुई है। सुगनचंद फौत हो चुका है। मुताबिक वसीयत सुगनचंद के नाम की कृषि भूमि का अपीलांट खातेदार है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित करने से पूर्व अपीलांट को सुनवाई का मौका नहीं दिया है तथा रेस्पोंडेंट संख्या 1 ता 5 ने जानबूझकर रेस्पोंडेंट संख्या 6 ता 9 को अनावश्यक पक्षकार बनाया है। जबकि उपरोक्त भूमि सुगनचंद पुत्र सावलाराम के नाम दर्ज थी। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही करने के आदेश अपीलाधीन प्राथमिक डिक्री व निर्णय पारित होने के पश्चात कतई गलत व विधि विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही करने के आदेश पारित किये हैं। जबकि अपीलांट पर कोई विधिवत् रूप से तामील नहीं हुई है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय की अपीलाधीन निर्णय व डिक्री अपास्त की जावे। दफा-5 मियाद अधिनियम पर बहस करते हुए अपीलांट ने निवेदन किया कि अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित करने से पूर्व कोई सूचना व नोटिस अपीलांट को प्राप्त नहीं हुए। अपीलांट ने जब पटवारी हल्का से सम्पर्क किया तो पटवारी हल्का ने प्रश्नगत भूमि सावलाराम के वारिसान के नाम इसी निर्णय के आधार पर दर्ज होने के कथन किये तब अपीलांट ने अविलम्ब ही दिनांक 25.08.2021 को अपीलाधीन निर्णय की नकल प्राप्त की तब अपीलांट को सर्वप्रथम अपीलाधीन निर्णय व डिक्री का ज्ञान हुआ इससे पूर्व अपीलांट को अपीलाधीन निर्णय व डिक्री का ज्ञान नहीं था इसलिए दफा-5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपील अन्दर मियाद ग्रहण की जाकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री को अपास्त फरमाया जावे।



4. रेस्पोंडेंट ने अपनी बहस में निवेदन किया कि अपीलाधीन निर्णय व डिक्री का ज्ञान अपीलांट विधि विरुद्ध है, इस सम्बंध में अपीलांट ने कोई कथन नहीं किया तथा निवेदन किया कि अपील अपीलांट खारिज फरमायी जावे।
5. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।
6. अपीलांट के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का कोई जवाब रेस्पोंडेंट की ओर से नहीं दिया गया। अपीलांट ने प्रार्थना पत्र के समर्थन में शपथ पत्र पेश किया गया जिसका कोई खण्डन रेस्पोंडेंट की ओर से नहीं किया गया है इस कारण अपीलांट का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील का गुणावगुणों के आधार पर अंतिम निस्तारण किया जाना न्यायोचित है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली से यह तथ्य साबित है कि अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं मिला है तथा रामनिवास के वारिसान व रामप्रताप, द्वारकाप्रसाद पुत्रगण सावलाराम एवं गौरीशंकर पि.मु. भगवानाराम ने अपने हक व हिस्सा की भूमि की दस्तबरदारी दिनांक 17.05.2002 को सुगनचंद पुत्र सावलाराम के पक्ष में रजिस्टर्ड करवाई हुई है तथा प्रश्नगत भूमि की रजिस्टर्ड वसीयत दिनांक 03.12.2002 अपीलांट के पक्ष में है जिसका भी कोई खण्डन रेस्पोंडेंट की ओर से नहीं किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय व डिक्री में यह आदेश पारित किया है कि भानगढ़ के खसरा नम्बर 101 की 2.251 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 272 की 5.059 खसरा नम्बर 355 की 3.566 हैक्टेयर कुल 10.876 हैक्टेयर वादी के हिस्से अनुसार व कब्जा अनुसार खाता व लगान अलग किये जाने के आदेश दिये तथा तहीसीलदार भादरा को

Law

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

वादीगण के हिस्सा अनुसार एवं पक्षकारान के कब्जे अनुसार विभाजन प्रस्ताव मंगवाए जाने के भी आदेश पारित किये जो विधि सम्मत है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन प्राथमिक निर्णय एवं डिक्री दिनांक 12.11.2010 विधि सम्मत है। अतः अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज किये जाने योग्य है।

7. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलाण्ट खारिज की जाती है एवं सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी भादरा का अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 12.11.2010 यथावत रखा जाता है। पर्चा डिक्री जारी हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित भिजवाया जावे। पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम कर दायि अफ्तर हो।
8. निर्णय आज दिनांक 10.10.22 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।



10/10/22
(करतारसिंह पनिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

डिक्री व सीगे अपील
न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़
बइजलास करतार सिंह पूनियो आर0ए0एस0

अपील संख्या – 156/2021
आरसीएमएस नं. 2021/156

जुगलकिशोर पुत्र सुगनचन्द पुत्र सांवलाराम जाति महाजन साकिन भानगढ़ तहसील भादरा हाल मकान नम्बर 63, जगदम्बा अपार्टमेंट, सैक्टर नम्बर-13, रोहिणी, सैक्टर नम्बर-7, नरेला, उत्तरी पश्चिमी दिल्ली।

— अपीलांत

बनाम

1. मनीराम पुत्र हरफूल सिंह जाति जाट साकिन भानगढ़ तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
2. रामकिशन पुत्र हरफूल सिंह जाति जाट साकिन भानगढ़ तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
3. रामेश्वरलाल पुत्र हरफूल सिंह जाति जाट साकिन भानगढ़ तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
4. मु0 सजना बेवा विजय सिंह पुत्र हरफूल सिंह जाति जाट साकिन भानगढ़ तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
5. राकेश पुत्र विजय सिंह पुत्र हरफूल सिंह जाति जाट साकिन भानगढ़ तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
6. सावित्री बेवा रामकिशन जाति महाजन साकिन भानगढ़ तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
7. रामप्रताप पुत्र सांवलाराम जाति महाजन साकिन भानगढ़ तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
8. प्रकाश प्रसाद पुत्र सांवलाराम जाति महाजन साकिन भानगढ़ तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
9. गौरीशंकर पि.मु. भगवाना जाति महाजन साकिन भानगढ़ तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
10. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व, नोहर तहसील नोहर।

— रेस्पोंडेंट

अपील अर्न्तगत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
विरुद्ध प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 12.11.2010
द्वारा सहायक कलेक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व), भादरा
अनवान "मनीराम आदि बनाम सावित्री आदि" प्र. सं. 29/2009

Law
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

आज यह अपील रूबरू हाजिर श्री हवा सिंह पूनियां अधिवक्ता अपीलांट, श्री विजय कौशिक अभिभाषक रेस्पोंडेंट ओर से बहस समायत की जाकर अपील अपीलाण्ट खारिज की जाती है एवं सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी भादरा का अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 12.11.2010 यथावत रखा जाता है।

डिक्री मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख 10.11.20 को जारी की गई।



Handwritten signature
 (करतार सिंह पूनियां) आर.ए.एस.
 राजस्व अपील अधिकारी
 हनुमानगढ़